न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– सरिता, आर0ए0एस0

दावा पत्रावली सं :: 21/2022

1. छीतर उम्र 70 वर्ष पुत्र नाथूराम
2. अर्जुन उम्र 66 वर्ष पुत्र नाथूराम

। समस्त जाति कुमावत निवासी
। गण ग्राम पलसाना तहसील
। दांतारामगढ़,जिला सीकर।

– वादीगण,

बनाम

1. हणमान पुत्र नाथूराम जाति कुमावत निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. तहसीलदार , दांतारामगढ।
3. उपपंजीयक , उपतहसील पलसाना ।
4. पटवारी पटवार हल्का पलसाना जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री उतम कुमार शर्मा, वकील वादीगण की ओर से।
2.श्री मनोज कुमार कुमावत प्रति0सं0 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक :: 11.4.2022

इस वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है:–

1. ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 801 रकबा 3.40है0, खसरा नं0 829 रकबा 0.010है0, खसरा नं0 830 रकबा 0.0800है0, खसरा नं0 831 रकबा 4.0700है0 कुल किता 04 कुल रकबा 7.56है0 अवस्थित है। जिसमें वादी सं0 1 का 3.27375है0 व वादी सं0 2 का 3.27375है0 तथा प्रतिवादी सं01 का 1.0125है0 हक व हिस्सा है।
2. विवादित कृषि भूमिया वादीगण व प्रतिवादी सं01 की पैत्रिक कृषि भूमिया है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में वादीगण का

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

7.56है0 में से 1/2 हिस्सा यानि दोनों का 3.78है0 हक व हिस्सा अंकित है तथा प्रतिवादी सं0 1 हणमान एवं उसकी माता सरस्वती का भी 7.56है0 में से 1/2 हक व हिस्सा अर्थात दोनों का 3.78है0 हक व हिस्सा था। इस प्रकार प्रत्येक खातेदार का सम्पूर्ण भूमि में से 1.89है0 हक व हिस्सा था।

3. वादीगण व प्रतिवादी सं01 की माता सरस्वती की मौत होने के पश्चात उसका हक व हिस्सा उसके विधिक वारिसान वादीगण ,प्रतिवादी सं01 एवं इनकी बहन पतासी देवी चारों में विभक्त होकर प्रत्येक के 0.4725है0 कृषि भूमि जरिये विरासत प्रत्येक वारिसान को प्राप्त हुई।
4. इसके पश्चात वादीगण के प्रश्न में प्रतिवादी सं01 व पतासी ने दिनांक 30.07.12 को उपपंजीयक पलसाना के कार्यालय में हक त्याग करवा दिया, जिसके अनुसार प्रतिवादी सं01 हणमान ने अपने हिस्से की भूमि 2.3625है0 में से 1.35है0 हिस्सा व पतासी ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि 0.4725है0 का हक त्याग वादीगण के पक्ष में करवा दिया।
5. अतः वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 801, 829, 830, 831 कुल किता 04 कुल रकबा 7.56है0 में से जिसमें वादी सं0 1 का 3.27375है0 व वादी सं0 2 का 3.27375है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी सं01 मय अभिभाषक श्री मनोज कुमार कुमावत के उपस्थित आये। प्रतिवादी सं01 ने इकबाली जबाब दावा पेश कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया व डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की। प्रतिवादी सं02 से 04 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण व प्रतिवादी सं01 मय अभिभाषक के राजीनामा पेश कर मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, इकबाली जबाब दावा व राजीनामा का अवलोकन

सहायक कलक्टर(म.)सीकर

किया। अवलोकन से हम वादीगण व प्रतिवादी सं01 के कथनों से संतुष्ट है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर स्थित आराजियात कृषि भूमि खसरा नं0 801, 829, 830, 831 कुल किता 04 कुल रकबा 7.5600है0 में से 3.27375है0 का वादी सं01 को व 3.27375 है0 का वादी सं02 को तथा 1.0125है0 का प्रतिवादी सं0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर